न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 101/2019 **RCMS 2019/00178**

वादी

1. रामसिंह पुत्र भवानीसिंह उम्र 64 वर्ष जाति राजपूत निवासी बुगालिया बास, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. केशरसिंह पुत्र स्व. श्री भवानीसिंह
2. गिरधारीसिंह पुत्र स्व. श्री भवानीसिंह
3. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री भवानीसिंह
4. मोहन कंवर पत्नी भंवरसिंह
5. सोनू कंवर पुत्री भंवरसिंह
6. कविता कंवर पुत्री भंवरसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमति मोहनकंवर पत्नी भंवरसिंह सभी जाति राजपूत निवासियान बुगालिया बास कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
7. मदनसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी कुरड़ाया तहसील मेड़तासिटी हाल निवासी बुगालिया बास कुचामनसिटी
8. मोतीराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी गच्छीपुरा तहसील मकराना हाल निवासी बुगालिया बास कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
9. रूपादेवी पत्नी डुंगरमल जाति जाट निवासी गोठड़ी तहसील मकराना हाल निवासी बुगालिया बास कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
10. प्रेम कंवर पत्नी भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी भवानीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर हाल निवासी बुगालिया बास, कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर) जिला नागौर।

दावा बाबत बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 26.02.2021

आदेश

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम कुचामनसिटी की सरहद में स्थिति कृषि भूमि खसरा नम्बर 310 रकबा 3.0568 हैक्टर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.020 हैक्टर, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.040 हैक्टर, खसरा नम्बर 3262/310 रकबा 0.3632 हैक्टर कुल रकबा 5.08 हैक्टर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की सह खातेदारी की स्थित है, उक्त खसरान में वादी का 1/5 हिस्सा अर्थात 1.016 हैक्टर भूमि अन्य खातेदार के साथ आई हुई है, वादग्रस्त खसरान का वादी बंटवारा करवाकर अलग होल्डिंग कायम करवाना चाहता है, जिसके लिए प्रतिवादी को कई मर्तबा कहा लेकिन उन्होने मना कर दिया, प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी है कि वह ताकत के बल पर वादी को बेदखल कर देंगे, बिनाय दावा प्रतिवादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:32:33 IST
Reason: SelfAttested

बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवारा करने से इन्कार करने पर बमुकाम कुचामनसिटी पैदा हुआ, वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम कुचामनसिटी की सरहद में स्थिति कृषि भूमि खसरा नम्बर 310 रकबा 3.0568 हैक्टर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.020 हैक्टर, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.040 हैक्टर, खसरा नम्बर 3262/310 रकबा 1.3632 हैक्टर कुल रकबा 5.08 हैक्टर मे वादी को 1/5 हिस्सा अर्थात 1.016 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं इसी माफिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवारा करवाया जाकर जहॉ तक संभव हो परिशिष्ट ' क ' के अनुसार वादी की अलग होल्डिंग कायम फरमाई जावें। माफिक आदेश प्रतिवादी सं. 11 को तहरीर जारी फरमाई जावे डिक्री के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद फरमाया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 11 का सम्मन तामिल होकर प्राप्त, आवाजे लगाई गई अनुपस्थित रहने पर एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के सम्मन लेने से इन्कार होकर प्राप्त, तामिल मानी जाकर आवजें लगाने पर अनुपस्थित रहे जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबन्दी कुचामनसिटी के खाता संख्या 120 सम्वत 2074–2077 की प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेस की नकल, नजरी नक्शा परिशिष्ट ' क ' प्रस्तुत किये, जो शामिल मिसल उपलब्ध है। मौखिक साक्ष्य में वादी रामसिंह का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया।

वकील वादी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई, बहस दौरान बताया कि वादग्रस्त भूमि का परिशिष्ट ' क ' मुताबिक बंटवारा कर सेपरेट होल्डिंग किये जाने के आदेश प्रदान करावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2074–2077 कुचामनसिटी खातेदारी में दर्ज चली आ रही है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	नाम खातेदार मय हिस्सा
769	319	0.60	बारानी 2	1. नाबालिग कविताकंवर पुत्री भंवरसिंह सरंक्षक ना.बा.सरंक्षक माता मोहनकंवर हिस्सा–1/15 जाति राजपूत सा.देह खातेदार 2.केशरसिंह पुत्र भवानीसिंह हिस्सा 1/5 जाति राजपूत सा.देह खातेदार 3.गिरधारीसिंह पुत्र भवानीसिंह हिस्सा 1/5 जाति राजपूत सा.देह खातेदार 4.महेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह हिस्सा 1/5 जाति राजपूत सा.देह खातेदार 5.मोहनकंवर पत्नी भंवरसिंह हिस्सा 1/15 जाति राजपूत सा.देह खातेदार 6.रामसिंह पुत्र भवानीसिंह हिस्सा 1/5 जाति राजपूत सा.देह खातेदार 7.नाबालिग सोनुकंवर पुत्री भंवरसिंह सरंक्षक ना.बा.संरक्षक माता मोहनकंवर हिसा 1/15 जाति राजपूत सा.देह खातेदार
119	312 314 3262	0.02 0.04 1.3632	बारानी 2 गै.मु.रास्ता बारानी 2	1. नाबालिग कविताकंवर पुत्री भंवरसिंह सरंक्षक ना.बा.सरंक्षक माता मोहनकंवर [illegible] खातेदार 2.केशरसिंह पुत्र [illegible] 1/5 जाति राजपूत सा.देह खातेदार 3.[illegible] 1/5 जाति राजपूत सा.देह खातेदार 4.[illegible] जाति राजपूत सा.देह खातेदार 5.[illegible] हिस्सा 1/15 जाति राजपूत सा.देह खातेदार 6.रामसिंह पुत्र भवानीसिंह [illegible] हिस्सा 1/5 जाति राजपूत सा.देह खातेदार 7.नाबालिग सोनुकंवर [illegible] भंवरसिंह सरंक्षक ना.बा.संरक्षक माता मोहनकंवर हिसा 1/15 जाति राजपूत सा.देह खातेदार
120	310	3.0568	बारानी 2	1. नाबालिग कविताकंवर पुत्री भंवरसिंह सरंक्षक सरपस्त सरंक्षक माता खुद हिस्सा 4969/76420 जाति राजपूत सा.देह खातेदार 2.केशरसिंह पुत्र भवानीसिंह हिस्सा 14907/76420 जाति राजपूत सा.देह खातेदार 3.गिरधारीसिंह पुत्र भवानीसिंह हिस्सा 14907/76420 जाति राजपूत सा.देह

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:32:33 IST
Reason: SelfAttested

				खातेदार 4.प्रेमकंवर पत्नी भवानीसिंह हिस्सा 631/76420 जाति राजपूत सा.भवानीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर खातेदार 5.मदनसिंह पुत्र दौलतसिंह हिस्सा 627/76420 जाति राजपूत सा. कुरडाया तह. मेड़तासिंह खातेदार 6.महेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह हिस्सा 14907/76420 जाति राजपूत सा.देह खातेदार 7.मोतीराम पुत्र भागीरथ हिस्सा 627/152840 जाति जाट सा. गच्छीपुरा खातेदार 8.मोहनकंवर पत्नी भंवरसिंह हिस्सा 4969/76420 जाति राजपूत सा.देह खातेदार 9.रूपादेवी पत्नी डुंगरमल हिस्सा 627/152840 जाति जाट सा. गोठड़ी तह. डीडवाना खातेदार 10.रामसिंह पुत्र भवानीसिंह हिस्सा 14907/76420 जाति राजपूत सा.देह खातेदार 11.नाबालिग सोनूकंवर पुत्री भंवरसिंह सरंक्षक सरपरस्त संरक्षक माता खुद हिस्सा 4969/76420 जाति राजपूत सा.देह खातेदार

पक्षकारान द्वारा अपने हक हिस्सें की भूमि पर काबिज चले आ रहे है तथा परिशिष्ठ "क" अनुसार बंटवारा का अनुतोष चाहा गया है, प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण की मौन स्वीकृति जाहिर प्रतीत होती है तथा वादी द्वारा भी उपरोक्तानुसार ही अपने अपने हिस्से पर काबिज अनुसार ही बंटवारा चाहा गया है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथ–पत्र एवं परिशिष्ठ "क" इत्यादि से साबित होती है, अतः वाद वादी काबिल प्राथमिक डिक्री योग्य पाया गया।

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी की सरहद में स्थिति कृषि भूमि खसरा नम्बर 310 रकबा 3.0568 हैक्टर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.020 हैक्टर, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.040 हैक्टर, खसरा नम्बर 3262/310 रकबा 1.3632 हैक्टर कुल रकबा 5.08 हैक्टर में दर्ज खातेदार के हक हिस्से एवं परिशिष्ठ "क" अनुसार प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार रूबरू पक्षकारान बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करे। प्राथमिक डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 26/02/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:32:33 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 101/2019 **RCMS 2019/00178**

वादी

1. रामसिंह पुत्र भवानीसिंह उम्र 64 वर्ष जाति राजपूत निवासी बुगालिया बास, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. केशरसिंह पुत्र स्व. श्री भवानीसिंह
2. गिरधारीसिंह पुत्र स्व. श्री भवानीसिंह
3. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री भवानीसिंह
4. मोहन कंवर पत्नी भंवरसिंह
5. सोनू कंवर पुत्री भंवरसिंह
6. कविता कंवर पुत्री भंवरसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमति मोहनकंवर पत्नी भंवरसिंह सभी जाति राजपूत निवासियान बुगालिया बास कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
7. मदनसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी कुरड़ाया तहसील मेड़तासिटी हाल निवासी बुगालिया बास कुचामनसिटी
8. मोतीराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी गच्छीपुरा तहसील मकराना हाल निवासी बुगालिया बास कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
9. रूपादेवी पत्नी डुंगरमल जाति जाट निवासी गोठड़ी तहसील मकराना हाल निवासी बुगालिया बास कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
10. प्रेम कंवर पत्नी भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी भवानीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर हाल निवासी बुगालिया बास, कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर) जिला नागौर।

दावा बाबत बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188, राज. का. अधि. 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री माणकचन्द अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री अशोकपुरी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है ग्राम कुचामनसिटी की सरहद में स्थिति कृषि भूमि खसरा नम्बर 310 रकबा 3.0568 हैक्टर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.020 हैक्टर, खसरा नम्बर 314 रकबा 0.040 हैक्टर, खसरा नम्बर 3262/310 रकबा 1.3632 हैक्टर कुल रकबा 5.08 हैक्टर में दर्ज खातेदार के हक हिस्से एवं परिशिष्ठ "क" अनुसार प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार रूबरू पक्षकारान बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करे। प्राथमिक डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26.....माह ....02.......... सन्....2021.. को जारी की गई।

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)
(मुहर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:32:33 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपयें	पैसे	मु[illegible]	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			[illegible] अर्जी		
स्टाम्प वकालातनामा			[illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]		
महन्ताना वकिल			खर्चा ग[illegible]		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

2/3/19
10/3/2021

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक /भू.अ./2021/482 दिनांक – 10.03.2021

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व वाद सं. 101/2019 रामसिंह बनाम केशरसिंह राजपूत वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत्।

प्रसंग – श्रीमान के पत्रांक राजस्व/2021/720 दिनांक 01.03.2021

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयांतर्गत निवेदन है कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 101/2019 रामसिंह बनाम केशरसिंह राजपूत वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम पटवारी हल्का कुचामनसिटी के द्वारा तैयार करवाई गई है।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

10.3.21
तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी
तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:32:33 IST
Reason: SelfAttested

फर्द मौका बंटवारा स्कीम

आज दिनांक 05.3.2021 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कुचामन सिटी के आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/780 दिनांक 01.03.2021 राजस्व प्रकरण वाद सं. 101/2019 RCMS 2019/720 रामसिंह बनाम केशरसिंह राजपूत की पालना में व श्रीमान तहसीलदार महोदय कुचामन सिटी के आदेश क्रमांक/भू.अ./549 दिनांक 04.03.2021 की पालना में कस्बा कुचामन सिटी के ख.नं. 319 रकबा 0.60 है. ख.नं. 3262/310 रकबा 1.3632 है., ख.नं. 310 रकबा 3.0568 है. ख.नं. 312 रकबा 0.02 है. ख.नं. 314 रकबा 0.04 है. के मौके पर बंटवारा स्कीम तैयार करने पहुंचा। मौके पर वादी खातेदार का कब्जा निम्नांकित नजरी नक्शा अनुसार पाया गया।

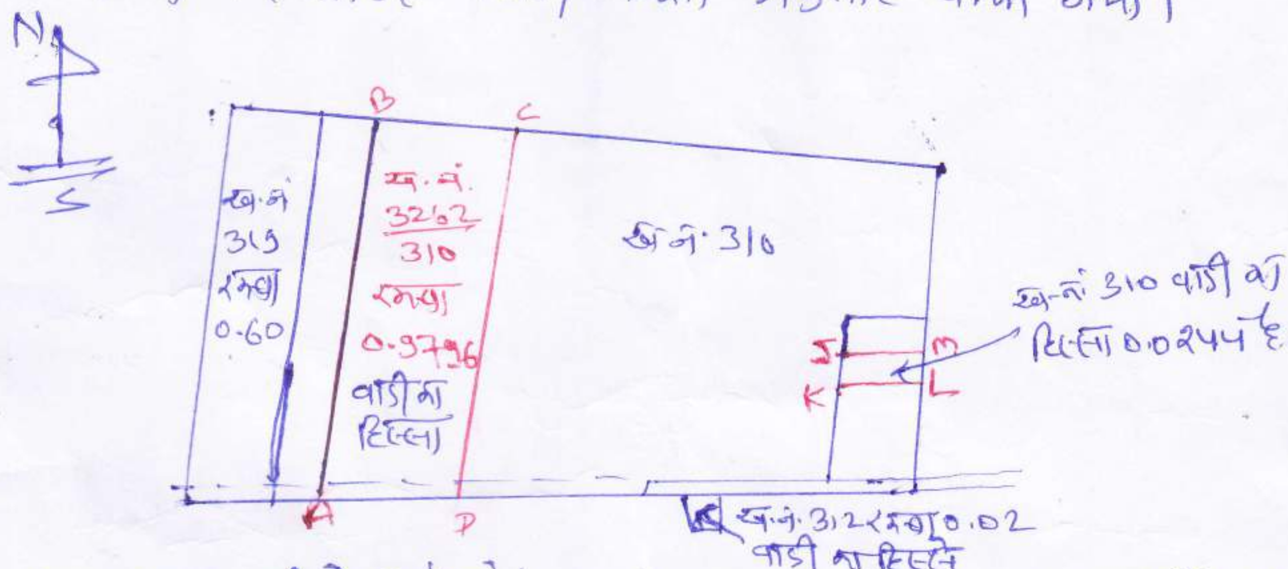

इस प्रकार वादी के हिस्से में ख.नं. 3262/310 में से भूखण्ड ABCD में दर्शित रकबा 0.9796 है. ख.नं. 310 में से भूखण्ड JKLM में दर्शित रकबा 0.0254 है. ख.नं. 312 रकबा सम्पूर्ण 0.02 है कुल रकबा 1.0254 है. [illegible] आता है। उक्त अनुसार फर्द मौका रूबरू मौतबिरान [illegible] के हस्ताक्षर करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:32:33 IST
Reason: SelfAttested

05.3.2021

Himmat

भवानी [illegible] शर्मा

पाबूराम

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 101 / 2019 **RCMS 2019/00178**

वादी

1. रामसिंह पुत्र भवानीसिंह उम्र 64 वर्ष जाति राजपूत निवासी बुगालिया बास, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. केशरसिंह पुत्र स्व. श्री भवानीसिंह
2. गिरधारीसिंह पुत्र स्व. श्री भवानीसिंह
3. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री भवानीसिंह
4. मोहन कंवर पत्नी भंवरसिंह
5. सोनू कंवर पुत्री भंवरसिंह
6. कविता कंवर पुत्री भंवरसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमति मोहनकंवर पत्नी भंवरसिंह सभी जाति राजपूत निवासियान बुगालिया बास कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
7. मदनसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी कुरड़ाया तहसील मेड़तासिटी हाल निवासी बुगालिया बास कुचामनसिटी
8. मोतीराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी गच्छीपुरा तहसील मकराना हाल निवासी बुगालिया बास कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
9. रूपादेवी पत्नी डुंगरमल जाति जाट निवासी गोठड़ी तहसील मकराना हाल निवासी बुगालिया बास कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
10. प्रेम कंवर पत्नी भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी भवानीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर हाल निवासी बुगालिया बास, कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर) जिला नागौर।

दावा बाबत बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4 से 6 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 22/3/2021

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:32:33 IST
Reason: SelfAttested

वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में [illegible] आदेश दिनॉक 26.02.2021 को जारी हुये जिसकी पालना तहसीलदार कुचामनसिटी [illegible] क्रमांक / भू.अ. / 2021 / 482 दिनॉक 10.03.2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। जो शामिल मिसल उपलब्ध है। दिनॉक 12.03.2021 को प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश हुआ, जिसकी प्रति वादी वकील को दिलाई गई, प्रार्थना–पत्र में प्रतिवादी सं. 4 ता 6 ने कथन किया है कि उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही की गई है जिसे निरस्त फरमावें तथा वादी ने पटवारी हल्का से मिलकर गलत बंटवारा स्कीम तैयार करवाई है तथा प्रतिवादी 4 ता 7 के विरूद्व की गई एक–पक्षीय कार्यवाही निरस्त कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावे।

उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब वादी की ओर से प्रस्तुत हुआ, जिसमें कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 न्यायालय में उपस्थित नही हुये इसलिये एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर ही प्राथमिक डिक्री जारी की गई है, प्रतिवादी द्वारा केवल मात्र प्रकरण को लम्बित करने की नियत से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसे खारिज फरमाया जावें। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विधिवत सुनवाई कर ही प्राथमिक डिक्री जारी की गई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा उपरोक्त पत्र अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना प्रस्तुत की गई है जिसमें वादी का हिस्सा अंकित है तथा मौके पर वादी का कब्जा काश्त दर्शाया गया है उसी अनुरूप प्राथमिक डिक्री की पालना प्रस्तुत की है। अतः प्रतिवादी सं. 4 ता 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. में उल्लेखित समस्त तथ्य ठोस रूप से कोई कारण दर्शित नही होते है, यदि प्रतिवादी सं. 4 ता 7 वादग्रस्त भूमि का बंटवारा भी चाहते है तो वे अपना पृथक से वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है, चूंकि वादी अपनी भूमि पर काबिज है न कि प्रतिवादी 4 से 7 की भूमि पर। ऐसा कोई उचित कारण प्रतीत नही होता है कि प्रतिवादी के हितो पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, अतः प्रतिवादी सं. 4 ता 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। वादी के पक्ष में प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत फर्द मौका बंटवारा स्कीम तहसीदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत अनुसार वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है तथा ग्राम कुचामनसिटी की सरहद में स्थिति कृषि भूमि खसरा नम्बर 3262/310 में से भूखण्ड ABCD में दर्शित रकबा 0.9796 हैक्टर 310 में से भूखण्ड JKLM में दर्शित रकबा 0.0244 हैक्टर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.02 हैक्टर कुल रकबा 1.024 हैक्टर का फर्द मौका बंटवार स्कीम अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष रकबा एवं खसरान से वादी का नाम हटाया जाता है तथा शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्कीम पर देय स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर राजस्व रेकार्ड एवं नक्शें में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 22/3/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:32:33 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 101/2019 RCMS 2019/00178

वादी

1. रामसिंह पुत्र भवानीसिंह उम्र 64 वर्ष जाति राजपूत निवासी बुगालिया बास, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. केशरसिंह पुत्र स्व. श्री भवानीसिंह
2. गिरधारीसिंह पुत्र स्व. श्री भवानीसिंह
3. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री भवानीसिंह
4. मोहन कंवर पत्नी भंवरसिंह
5. सोनू कंवर पुत्री भंवरसिंह
6. कविता कंवर पुत्री भंवरसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमति मोहनकंवर पत्नी भंवरसिंह सभी जाति राजपूत निवासियान बुगालिया बास कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी
7. मदनसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी कुरड़ाया तहसील मेड़तासिटी हाल निवासी बुगालिया बास कुचामनसिटी
8. मोतीराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी गच्छीपुरा तहसील मकराना हाल निवासी बुगालिया बास कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
9. रूपादेवी पत्नी डुंगरमल जाति जाट निवासी गोठड़ी तहसील मकराना हाल निवासी बुगालिया बास कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
10. प्रेम कंवर पत्नी भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी भवानीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर हाल निवासी बुगालिया बास, कुचामनसिटी जिला नागौर राज.
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर) जिला नागौर।

दावा बाबत बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188, राज. का. अधि. 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर घोशणा की जाती है तथा ग्राम कुचामनसिटी की सरहद में स्थिति कृषि भूमि खसरा नम्बर 3262/310 में से भूखण्ड ABCD में दर्शित रकबा 0.9796 हैक्टर 310 में से भूखण्ड JKLM में दर्शित रकबा 0.0244 हैक्टर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.02 हैक्टर कुल रकबा 1.024 हैक्टर का फर्द मौका बंटवार स्कीम अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष रकबा एवं खसरान से वादी का नाम हटाया जाता है तथा शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्कीम पर देय स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर राजस्व रेकार्ड एवं नक्शें में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत [illegible] 22 [illegible] 03 ...... सन् 2021 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:32:33 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत ....
आफिसर (मुहर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी

मुद्दई	रूपयें	पैसे	मुद्दायलह	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी [illegible]		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी [illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेंत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।